कार्यवाही विवरण

मेसर्स कल्याणी इस्पात लिमिटेड, ग्राम–कोपेडीह एवं अंजोरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में Expansion of Integrated Steel Plant from 0.4785 MTPA to 0.9285 MTPA finished steel products (0.466 MTPA to 2.012 MTPA crude steel) and area expansion from 38.68 Ha. to 84.021 Ha. के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 28.08.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे, स्थान–शासकीय भूमि मिनी स्टेडियम (वृन्दावन खेल मैदान) खसरा नं. 569/3 स्थित, ग्राम–अंजोरा, पटवारी हल्का नम्बर 62, तहसील एवं जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स कल्याणी इस्पात लिमिटेड, ग्राम–कोपेडीह एवं अंजोरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में Expansion of Integrated Steel Plant from 0.4785 MTPA to 0.9285 MTPA finished steel products (0.466 MTPA to 2.012 MTPA crude steel) and area expansion from 38.68 Ha. to 84.021 Ha. के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में दिनांक 26/07/2025 एवं दैनिक समाचार पत्र नवभारत, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 26/07/2025 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित कराई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 28/08/2025 को समय प्रातः 11.00 बजे, स्थान–शासकीय भूमि मिनी स्टेडियम (वृन्दावन खेल मैदान) खसरा नं. 569/3 स्थित, ग्राम–अंजोरा, पटवारी हल्का नम्बर 62, तहसील एवं जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव जिला–राजनांदगांव, सरपंच/ सचिव, ग्राम पंचायत–कोपेडीह, तहसील व जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत–अंजोरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया

गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 28/08/2025 को प्रातः 11:25 बजे, स्थान–शासकीय भूमि मिनी स्टेडियम (वृन्दावन खेल मैदान) खसरा नं. 569/3 स्थित, ग्राम–अंजोरा, पटवारी हल्का नम्बर 62, तहसील एवं जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में लोकसुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अतिरिक्त कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा, सीनियर जी.एम.(इन्वायरमेन्ट) द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई के द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री खेमलाल साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**
   - खसरा नंबर 518 से लगा हुआ एक दीवाल टूटा हुआ है जिससे लगा खेत है। वहां कल्याणी इस्पात के लोग जुठा भोजन फेंकते हैं। वहां बाहरी लोग काम में लगे हुए हैं। वहां के चारागाह में मजदूर लोग चर नही रहे हैं। हमें आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। आप जाकर स्वयं देख सकते हैं। विकास तो विकास विनाश अभी से शुरू हो गया है। जब मैं खेत में काम कर रहा था तो महिला दोपहर में खाना खाने के पहले बाहर में महिलायें शौचालय के लिये बैठी थी वहां एक शौचालय तक नही है। विकास कुछ नही हो रहा है।

2. **श्री महेन्द्र कुमार साहू ,ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**
   - मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं। मैं एक किसान हूं। मेरा जीवन कृषि पर निर्भर है। ये कंपनी आने मेरा कृषि भूमि बंजर हो जायेगी। इसलिये मैं इस कंपनी का अंतिम समय तक विरोध करूंगा।

3. **श्री योगेश कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**
   - मैं गांव का आम नागरिक हूं। कंपनी खुलने से बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। कंपनी में पीपीएम के लिये बहुत सारे मशीने लगायी जायेंगी। आसपास के सभी क्षेत्रों में रात में प्रदूषण बहुत रहता है। हाईड्रोकार्बन प्रदूषण रात में बहुत ज्यादा रहता हैं। हमें कई सारे समस्या बीपी, कैंसर आदि से जूझना

पड़ेगा। हमारी पीढ़ी भी ये सब झेलेगी। यदि कंपनी हमारे गांव कोपेडीह, अंजोरा को गोद लेती है तथा एनजीटी के नियमों का पालन करेगी, वृक्षारोपण करेगी और मेरा एमओयू है तो भविष्य में कंपनी का समर्थन करेंगे अन्यथा कंपनी का विरोध करता हूं।

4. **श्री हेमन्त कुमार देशमुख, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का समर्थन करता हूं। कंपनी में कोपेडीह और अंजोरा के योग्य लोगों को रोजगार प्रदान किया जायेगा। कंपनी में वृक्षारोपण, खेलकूद तथा गांव में विकास का कार्य किया जाये।

5. **श्री मोहित साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का समर्थन करता हूं।

6. **श्री गजानंद सिन्हा, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ विकास के कार्य कंपनी करेगी तो कंपनी का समर्थन करता हूं। मैं अपनी जमीन 20 साल पहले कोई कंपनी का विरोध करेगा तो भी मैं भी विरोध करूंगा कोई साथ देने वाला नही है। मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।

7. **श्री तरूण कुमार, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरे तीन शर्ते हैं यदि माना जायेगा तो कंपनी का समर्थन करूंगा अन्यथा विरोध करूंगा। पहला शर्त है कि कंपनी में पेड़ लगाया जाये। क्योंकि कंपनी में पेड़ लगने में समय लगेगा। दूसरा शर्त स्वास्थ्य है, आसपास के व्यक्ति भी प्रभावित गांव है। उनके लिये एक एकीकृत अस्पताल की मांग करता हूं। डॉ0 सर्जन होने चाहिए। तीसरा शर्त है ग्राम अंजोरा और कोपेडीह के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

8. **श्री ईश्वर लाल साहू , ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी से चाहता हूं कि कंपनी के निर्माण कार्य के पहले जो कार्य रखे गये थे वो लगाये जाने चाहिए जैसे पेड़ लगाना चाहिए। टॉवर पहले लगाया गया था अब उसे हटाया जा रहा है। कंपनी का दूषित जल खेत में जा रहा है। कंपनी में बाहरी लोग काम करते हैं उसके बाद यहां चोरी शुरू हो गया है। महिलाओं को रास्ते में गाली गलौच सुनने को मिलता है। मैं चाहता हूं किसान के खेत में कंपनी न लगे। खाली जमीन जहां कृषि नही होता है वहां कंपनी लगनी चाहिए। कंपनी का मैं विरोध करता हूं। यदि यही कंपनी बंजर जमीन पर बनाई जाती तो विरोध नही करता। यहां आसपास दुर्ग शहर है जहां हमें रोजगार मिलती है। हम लोग पहले से 10 एकड़ जमीन में पंचायत में वृक्षारोपण कर रहे हैं। गांव के युवा लोग वृक्षारोपण करते हैं। मैं युवाओं से चाहता हूं कि पहले अपने भविष्य के बारे में सोचे उसके बाद कंपनी के बारे में सोचे।

9. **श्री राजेश कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ यहां पर जितने भी लोग बोले हैं वे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हमारे गांव में बेजुबान जानवर घूम रहे हैं उनके बारे में कोई नही बोल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बेजूबान जानवरों के लिये गौठान में एक शेड का निर्माण किया

जाये तथा पशु चिकित्सालय और डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाये जिससे उनकी देख रेख हो सके। कंपनी का मैं समर्थन करता हूं।

10. **श्री हेमन्त देशमुख, ग्राम–टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं कपनी का समर्थन करता हूं। टेड़ेसरा में कंपनी में मेरे भाई काम करते हैं जिन्हें 300 रूपये मजदूरी मिलता है लेकिन यहां 500 रूपये मिलता है इसलिये मैं समर्थन करता हूं।

11. **श्री नंदकुमार साहू, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ उद्योग का विरोध लोग नही करते। लोग केवल अधिकारियों की कमी का विरोध करते हैं। यहां प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है जिसकी जिम्मेदार अधिकारी है। वे अपने जिम्मेदारी निर्वहन करें। कंपनी लगती है लेकिन सीएसआर की राशि का खर्च क्षेत्र में नही होता। मैं चाहता हूं कि सीएसआर का लाभ 10 किलोमीटर के इस क्षेत्र में लगे। मैं चाहता हूं कि कंपनी बताये कि रोजगार में स्थानीय लोगों को काम में रखा जायेगा या बाहरी लोगों को ? कंपनी यहां के स्थानीय लोगों को छोटे पद में रखते हैं लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।

12. **श्री जितेन्द्र साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ आसपास बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन रोजगार में बाहरी लोगों को दोहरी कीमत मिलती है और स्थानीय लोगों को काम के नाम पर मोहरा बनाया जाता है। कंपनी यदि हमारे गांव को गोद लेगी तो नेता लोग अपना कार्य करेंगे कंपनी के लोग बहुत से चोरी करते हैं। बहुत तेज वाहन चलाते हैं। कंपनी ने हाईटेंशन वायर को दो दिन में समीप के कृषि भूमि में लगा दिये है। कंपनी लग जायेगा तो प्रदूषण से पैदा होने वाला बच्चा विकलांग पैदा होगा। अधिकारी के पास मिलने जाते हैं तो कंपनी मिलने नही देता है। यदि मेरी बातो को माना जायेगा तो कंपनी के समर्थन के बारे में सोचा जायेगा।

13. **सुश्री प्रिया साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–दुर्ग।**

➢ यह कंपनी हमारे गांव और हमारे लोगों के लिये है। मेरा प्रश्न है कंपनी में बाहरी लोग काम कर रहे हैं। कंपनी बनना शुरू हो गया है, पर काम में स्थानीय लोगों को रखने चाहिए थे। कंपनी में जो भी लोग काम करना चाहते है, वो अपने अपने गांव के सरपंच के माध्यम से जानकारी दे। बाहर के बिहारी, उड़िया, रोहंगिया यहां रहते हैं। एक मजदूर आपके लिये काम करता है उसे 10 लाख रूपये मुआवजा दिया गया। उसकी जिंदगी की यही कीमत है क्या ? रसमड़ा में एक कंपनी एक लड़के की हाथ कट गई। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यदि कंपनी में एक व्यक्ति को कुछ क्षति हो जाती है तो कंपनी उसके लिये क्या करेगी। रसमड़ा में बाहर के लोग ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। कंपनी में आसपास के गांव जहां से जमीन खरीदा गया है उनको ही काम पर रखा जाये। यह लिखित में चाहिए। आज कोई प्लांट खुलेगा तो पहले यह बताया जाये कि हमें क्या क्या सुविधा दी जायेगी। हमारे गांव के मजदूरों को काम नही मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति

बाहर चंदा वगैरह नही देगा। रसमड़ा में एक तालाब में मछली मर गई थी जिसकी रिपोर्ट आज तक नही मिली है। प्लांट की गंदगी तालाब में जाती है उस पानी से एक मजदूर का चेहरा खराब हो गया। इसके संबंध में जांच नही हुई है। प्लांट में जितने भी वर्कर हैं कोई भी लेबर इंस्पेक्टर अपना कार्य ठीक तरह नही करता है। तीन चार माह से वर्कर को वेतन नही मिला है। गरीब व्यक्ति आपके फैक्ट्री में 8 से 10 घण्टा अपना समय देता है तो उसे सुविधा मिलनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को कंपनी में काम करना वो अपने गांव के सरपंच जिला जनपद सदस्य के माध्यम से नाम उपलब्ध करवाये । कोई भी कंपनी कचरे की तरह वर्कर को कंपनी से बाहर नही करेगा।

14. **श्रीमती लक्ष्मी साहू, ग्राम–महमहरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ भविष्य में यह प्लांट बनेगा। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गांव में जितने भी महिलाओं के साथ शोषण होता है। मैं महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाउंगी। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना दुबारा नही होनी चाहिए। हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। मेरा निवेदन है कि कोई घटना घटता है तो उसके बारे में बोलना सिखना चाहिए। टापवर्थ का प्लांट से धूल मेरे घर के छत में आता है। आप सचेत रहे। प्लांट खुलता है लेकिन कोई भी नियम का पालन नहीं होता है।

15. **श्री तोरन लाल ध्रुर्वे, सरपंच, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत उत्सर्जन निर्धारित मानको के अनुरूप रहे। आक्सीजन जोन बनाये जाये। 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाये। प्रबंधकीय एवं अप्रबंधकीय रूप से ट्रेनिंग दिया जाये। गांव में 12वीं तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाये तथा मॉडल स्कूल बनाई जाये। दूषित पानी से गांव की जमीन को बर्बाद न करे। क्षतिग्रस्त शासकीय भवनों की मरम्मत कराई जाये। ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार अपवहन किया जाये। गांव में आवश्कता पड़ने पर जल की व्यवस्था की जाये। गांव के सभी वार्डो को मार्डन वार्ड के रूप में विकसित किया जाये। गांव में मांगलिक भवन बनाया जाये। सीएसआर की राशि गांव के विकास में दिया जाये। एम्बुलेन्स सुविधा दी जाये। गांव के कोई भी जलाशय फैक्ट्री के लिये न दिया जाये। गांव में पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण किया जाये। इस आधार पर मैं समर्थन करूंगा।

16. **श्री डोमन लाल साहू, उपसरपंच, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ सरपंच के द्वारा जो भी चीज अभी सुनाया गया वह गांव में तीन दिन तक चर्चा के बाद तैयार किया गया था। मैं उसे दोहराना चाहूंगा। सहमति से गांव के लोग अपना हस्ताक्षर किये हैं। कार्यपालक सार की प्रति के 8 नंबर पेज में लिखा गया है कि तकनीकी एवं प्रबंधकीय कुशल लोगों को बाहरी लोगों को रखा जाये उसे हटाया जाये और यह लिखा जाये कि गांव के तकनीकी एवं प्रबंधकीय कुशल लोगों को रखा जाये तभी मैं कंपनी का समर्थन करूंगा। सभी कार्य ग्रामसभा की सहमति पर किया जाये।

17. **श्री दुष्यंत कुमार धनकर, जनपद सदस्य ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

18. **श्री भरत लाल साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का प्रदूषण कंपनी के अंदर रहना चाहिए। हमारे घर, खेतखार में प्रदूषण नही फैलना चाहिए।

19. **श्री मनहरण लाल साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जनसुनवाई बात रखने का मंच प्रदान करती है। नागरिकों को उसकी आवाज सुनने का मौका देती है। यह कार्य पारदर्शिता बढ़ाती है। लोगों को प्रशासन भागीदारी में शामिल करती है। कोपेडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये, शिक्षा के लिये ध्यान दिया जाये, सड़क बनाया जाये। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये, बच्चों के लिये जिम की व्यवस्था की जाये। गांव की कृषि भूमि प्रभावित नही होनी चाहिए। वृक्षारोपण में ध्यान दिया जाये।

20. **श्री योगेश साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जन शक्ति के लिये वर्तमान में 1200 जन शक्ति आवश्यक है। कुशल और अकुशल एवं अर्ध कुशल लोगों को पहचान के बाद रोजगार मिलेगा। तकनीकी एवं प्रबंधकीय लोगों के लिये आवश्यकतानुसार बाहरी लोगों को रखा जायेगा। भूमि अधिग्रहण होगा तो इसके लिये तकनीकी एवं प्रबंधकीय लोगों उन्हें लोगों को रखा जायेगा क्या ? मैं चाहता हूं कि इस कार्य गांव के लोगों को स्थायी रूप से रोजगार दिया जाये। यदि यह लागू होगा तभी मैं समर्थन करूंगा।

21. **श्रीमती कविता साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी खुलेगा तो वहां पर राजनांदगांव पारा में बाजार में कंपनी के बाहर के लोग आते हैं तो कंपनी के लोग शराब के नशे में गंदे गंदे गालियां देते हैं। स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिले इसलिये मैं समर्थन करती हूं।

22. **श्रीमती मेघा साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ अभी जितनी भी मांगे हैं मैं सुनी हूं। मैं जानना चाहती हूं कि जितनी भी बाते यह सिर्फ पेपर पर ही सीमित रहेगा। यह भी चीज अभी से लागू होनी चाहिए। गांव में सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, गांव में महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। उनको उनकी योग्यता अनुसार ही काम मिलना चाहिए। यह सभी लागू होना चाहिए। यह केवल कागज में सीमित नही होने चाहिए। अगर गांव वाले भी कंपनी बन्द नही करा पायेंगे। यदि कंपनी बन्द करा सकते हैं तो मैं उनका समर्थन करती हूं।

23. **श्री प्रेमेन्द्र साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कार्यपालक सार की प्रति के 8 नंबर पेज में लिखा है कि तकनीकी के लिये बाहरी लोगों को पद में रखा जायेगा। मैं चाहूंगा कि अंजोरा के आसपास के क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्यों नही रखा जायेगा ? अभी से गांव मे बाहरी लोगों के कारण चोरी शुरू हो गया है। यहां के सभी के सभी लोग

12

झूंड बना के जा रहे हैं बाजार में, गांव में असुविधा हो रही है इसके लिये कौन जिम्मेदार रहेगा ? यहां अनुबंध होना चाहिए कि लिखित में की कंपनी में स्थानीय लोग ही कार्य करेंगे।

24. **श्री शैलेष कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➤ तीज त्यौहार प्रत्येक महिलायें अपने मायके में रहती हैं। उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण है। ऐसे में आज जो लोक सुनवाई है उसे क्यों रखी गई है। क्या महिलाओं को बोलने का अधिकार नही है। जनता पूछ रही है। जवाब के लिये जिला मजिस्ट्रेट को बुलाया जाये। दिखावे करने के लिये जन सुनवाई नही है। कोपेडीह में लोक सुनवाई हुआ था उसमें कुम्हारी–रायपुर के लोग शामिल हुए थे। क्या उनको बोलने का अधिकार है ? हम अपने बच्चों के अधिकार के लिये लड़ रहे हैं। मीडिया वाले भाईयों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये महिलाओं का अधिकार नही है ? उद्योग लगने में कितने वर्ष लगेंगे, प्रबंधन मुझे जानकारी दे। एक पौधे को वृक्ष बनने में कितने वर्ष लगते हैं ? आपने अभी तक कितने वृक्ष लगाये ? वर्ष 2022 में कंपनी में काम शुरू हो गया है। तब से कितना वृक्षारोपण किया गया है। हम अपने अधिकार के लिये लड़ रहे हैं लेकिन बाद में हम अपनी बात नहीं रख पायेंगे। जमीन और पानी हमारा है लेकिन उसमें कार्य बाहर के लोग काम करेंगे। आने वाला भविष्य के लिये कंपनी महिला, बच्चों एवं बुजुर्गो के लिये खतरनाक है। अंजोरा के जमीन में कंपनी द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। पहले स्टाम्प एग्रीमेन्ट का कार्य किया जाये उसके बाद ही जन सुनवाई का कार्य आगे बढ़ेगा।

25. **श्री चुलेश्वर कुमार साहू, सरपंच, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➤ कंपनी की ओर से गांव में वृक्षारोपण नही किया गया है। कंपनी में किया गया है जिसकी जानकारी मुझे नही है। कंपनी प्रबंधन से मेरा प्रश्न है कि जन शक्ति में लिखा है कि स्थानीय लोगों को काम पर रखा जायेगा। तकनीकी एवं प्रबंधकीय, कुशल में बाहरी लोगों को रखा जायेगा। मेरे कुछ शर्ते हैं यदि इन शर्तो को मान लिया जायेगा तो समर्थन करूंगा। लिखा गया है कि निर्माण कार्य के दौरान 70 से 80 डेसिबल ध्वनि होगा। परिवहन के दौरान अधिकतम 110 डेसिबल होगा। जो सामान्य से अधिक है। प्रबंधन एवं तकनीकी कुशलता ने आसपास के लोगों को ही रखा जायेगा। जो कि जमीन के 33 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण की शर्त रखी गई है जो आज तक शुरू नही हुआ है यह कब शुरू किया जायेगा बताये। पेयजल, बिजली सुविधा की जिम्मेदारी आपकी होगी। गांव में कोई अप्रिय घटना हो जायेगी तो उसे 50 लाख रूपये कंपनी देगी। गांव में उच्च स्तरीय स्कूल और अस्पताल होने चाहिए। गांव के सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यो में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। ये सभी शर्त आप स्टाम्प पेपर में अनुबंध कराकर लिखित में देंगे तभी हम मान्य करेंगे।

26. **श्री तामेश्वर कुमार साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➤ कंपनी बन रही है जिसकी 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विरोध करने का कोई औचित्य नही है। मैं हमारे सरपंच की बात का समर्थन करता

12

हूं। प्रदूषण कितना हुआ है उसका मापन करते हुए मापदण्ड तय किया जाये। कंपनी लगने से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। वर्तमान में हाई टेक्नोलॉजी ईएसपी पर ध्यान दिया जाये। गांव में कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल में आसपास के लोगों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसके बाद बाहरी लोगों को लेना चाहिए। कोई नही रोकेगा। जितनी भी जमीन का क्रय कंपनी के द्वारा किया गया है उनको नौकरी में प्राथमिकता दिया जाये। गांव को कंपनी सुरक्षा प्रदान करे। सड़क में ट्रेलर आते हैं। गांव की सड़क का चौड़ीकरण किया जाये। कंपनी जितना भी बाउण्ड्रीवाल करेगी उसके किनारे किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे।

27. **पुनः उद्बोधन श्री शैलेष साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ स्टाम्प पेपर में अनुबंध कर दिया जाये। मैं यहां ये जानने के लिये उपस्थित हुआ हूं कि कंपनी यहां पर क्या करेगी। कंपनी आने वाले एक वर्ष में प्रारंभ हो जायेगी लेकिन वृक्षारोपण का कार्य शुरू नही की है। शिक्षा के लिये क्या बजट रखा गया है। कंपनी के सामने की ओर कृषि भूमि है जो कंपनी लगने से प्रभावित हो जायेगा। अगर प्रशासन और प्रबंधन हमारे कोई भी मांगों को लिखित में अगर देगा तो कंपनी का कोई भी विरोध नही करेगा। बिन्दु क्रमांक 8 में पहले से ही लिखा गया है कि बाहरी लोगों को काम पर रखा जायेगा। जायसवाल निको में यहां के स्थानीय लोगों को 15 हजार रूपये वेतन दिया जाता है जबकि यूपी. बिहारी को 45 हजार वेतन दिया जा रहा है। यहां आज हमारे गांव और आसपास के क्षेत्र की दिशा और दशा तय होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिये कंपनी क्या व्यवस्था करेगी इसकी जानकारी दे। स्थानीय मुद्दों पर बात किया जायेगा। पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के पास क्या इसकी जानकारी है क्योंकि रोहंगिया, मुसलमान बाहरी लोग कितने लोग हैं ?

28. **श्री भीमराव बागड़े, शांतिनगर, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी के द्वारा विस्तारीकरण के लिये जो दस्तावेज तैयार किया गया है जिसे पंचायत में प्रस्तुत किया गया है। टेड़ेसरा ग्राम पंचायत के माध्यम से हमें प्राप्त दस्तावेज में अनेक विभाग एवं कंपनी प्रारंभ होना है। इस विस्तार में बताया गया है कि कुशल, अर्धकुशल का उल्लेख है। जन सुनवाई होती है जिला प्रशासन के माध्यम से नागरिक अपनी अपनी बात रखते हैं। कंपनी चालू होती है तो नियमों का पालन नही होता है। रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने जमीन देने की बात कही थी आज कंपनी चालू हो गई। लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नही मिल रहा है। रायपुर स्टील कंपनी में आधे से अधिक लोग स्थानीय मजदूर नही हैं। महिलाओं की भागीदारी कंपनी में कम है। सोना बेवरेज कंपनी में 250 मजदूरों में से केवल 30 मजदूर में महिला मजदूर है। कंपनी के मालिक महिलाओं को काम पर नही रखते हैं। पुरूषों को काम पर लिया जाता है और बाहरी लोगों को लिया जाता है। उनको ठेकेदार के माध्यम से वेतन दिया जाता है। पीएफ और बीमा की मांग करने वाले को कंपनी और ठेकेदार उसे बाहर कर देते हैं। शासन के द्वारा तय न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। टेड़ेसरा में एक कंपनी द्वारा न्यूनतम वेतन नही दिये जाने पर

12

08 दिन तक धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद श्रम विभाग में इसका निराकरण किया गया। श्रम विभाग आज मजदूरी को हितों का ध्यान में नही रखते हुए कंपनी की ओर ध्यान दिया जाता है। सरकार ने श्रम विभाग को पंगू बना दिया है। कंपनी के साथ करार होता है उसके बाद में उसे मानने से इंकार कर दिया जाता है। इसलिये किसानों, मजदूरों और महिलाओं को असुविधा होती है इसलिये लोगों को संगठित होना आवश्यक है। मेरी मांग है कि इस कल्याणी इस्पात में ठेकेदारी की व्यवस्था नही होनी चाहिए सभी कार्य कंपनी के माध्यम से होनी चाहिए। ठेकेदार वेतन नही देता है और भाग जाता है। मालिक बोलता है कि हमने वेतन ठेकेदार को दे दिया है आप ठेकेदार से प्राप्त करो। कंपनी के बायलर कंपनी के नाम पर है लेकिन ठेकेदार के नाम पर नही है इसलिये रायपुर न्यायालय ने ठेकेदार को फर्जी बताया। कंपनी में 1000 में से 700 लोग बाहर के होते हैं जबकि सरकार का नियम बना है कि स्थानीय मजदूर 75 प्रतिशत रहे। पर यह बात कोई नही मान रहा है। रसमड़ा का शालीमार कंपनी बिहार के लोगों को क्वार्टर बनाकर काम पर रखा है। कंपनी हमारी बात नही सुनता है। कल्याणी इस्पात यदि चालू होती है तो हमें समस्या नही है। रायपुर स्टील का धूल घरो मे जा रहा है। सुविधि इस्पात का धूल खपरी बस्ती में जा रहा है। बात आने वाले मजदूरों के भविष्य का है।

29. **श्री मुकेश साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का समर्थन करता हूं। हम लोग कल्याणी इस्पात में ठेकेदारी में काम करते हैं। सभी युवा साथियों को कंपनी में रखा जाये। लाईट, पानी शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

30. **श्री परसराम साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कल्याणी इस्पात बहुत बड़ा उद्योग है। आसपास में भिलाई इस्पात संयंत्र है जिस पर हमें गर्व है। मुझे इस बात का आक्रोश रहता है कि आप लोग वेतन भोगी रह रहे हैं। यदि आप लोग अपना अच्छा कार्य करेंगे तो मजदूरों को कुछ बोलने की जरूरत नही है। यहां जो भी नियम कानून है उसका पालन आपको करवाना है। हमारे भी घर परिवार है। वो भी जीवित रहते हैं। हमारे लोगों को काम मिलना चाहिए। बाहर से मजदूर लायेंगे उसका उचित तरीके से प्रबंधन होना चाहिए। यदि सब चीज होगा तो सही तरीके लागू होगा तो मैं कंपनी का समर्थन करूंगा।

31. **श्री हुलास राम साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी को तत्काल बिजली की आवश्यकता है किसान के खेत में टॉवर लगा दिया गया है। हाईटेंशन लाईन जा रहा है इसका मुआवजा कब तक मिलेगा। शासन के नियमानुसार 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए।

32. **श्री अरूण कुमार साहू , ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ आर्थिक उन्नति के लिये उद्योग और कृषि दोनों जरूरी है। उद्योग, कृषि कहां लगना चाहिए मैं गांव वालों से पूछना चाहूंगा ? कितने लोग किसान हैं। रसमड़ा में उद्योग चलता है और छत में डस्ट जमा हो जाता है। हम

सभी ये चाहते हैं हमारा और हमारे बच्चों को भविष्य उज्जवल हो। हमारी पीढ़ी को यही जीवन व्यतीत करना है। मैं कृषक हूं और कंपनी में काम कर रहा हूं। शासन ने कुशल, अकुशल, अर्धकुशल तय किया था निको कंपनी इसका पालन नही करने पर हमने विरोध किया तो 35 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। मुझे वहां कारीगर का काम नही दिया गया। मुझे ठेकेदारी पर काम करने को मिला। मैं स्पंज आयरन कंपनी में काम कर चुका हूं। मैं इसलिये स्पंज आयरन कंपनी का विरोध करता हूं। वहां बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है।

33. **श्री अशोक कुमार सिन्हा, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारे सरपंच द्वारा जो जितने बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया यदि उनको माना जायेगा तो मैं कंपनी का समर्थन करता हूं। हमारे लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए। मजदूरों का नहीं दिया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर पर्यावरण शुद्ध करना पड़ेगा। कंपनी का विरोध नही किया जायेगा बल्कि यहां पर मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है।

34. **श्री मुकेश कुमार साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी में काम करने वाले वर्कर का इंश्योरेन्स की व्यवस्था होती है। कंपनी में काम करने वाले परिवार का ग्रुप इंश्योरेन्स होना चाहिए। मेरे घर परिवार में शिक्षा स्तर पर स्कील नही है वो पर उनके पास अनुभव पर्याप्त है उन्हें कलेक्टर दर पर काम नही मिल रहा है।

35. **श्री जागेश्वर दास साहू उपसरपंच, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये उचित व्यवस्था किया जाये उसे लागू करना चाहिए। रोजगार में स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। बाहरी लोगों को काम पर न रखा जाये। यहां लोग युवा पढ़े लिखे है। उन्हे काम पर रखा जाये।

36. **श्री टोमन देशमुख, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी खुल रहा है कोई समस्या नही है लेकिन इसमें कोपेडीह लोगों को ठेकेदारी में काम में न रखते हुए कंपनी अंदर रखना चाहिए। आसपास कोई भी अपने रोजगार के लिये दुकान लगा रहा है। कंपनी के मुख्य द्वार के पास एवं आसपास लाईट व्यवस्था किया है। मुख्य द्वार पर पानी की व्यवस्था की जाये एक नल लगाया जाये।

37. **श्री पूरन लाल यादव, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ वर्तमान में उस क्षेत्र में हाई टेंशन लाईन हटाया जा रहा है और मेरा परिवार कृषि पर निर्भर है उसके लिये कल्याणी इस्पात क्या करेगी ? कंपनी के लेबर बाजार में आते हैं उनके लिये समय होना चाहिए।

38. **श्री राजकिशोर साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का विरोध करता हूं। पंचायत के द्वारा कंपनी पर जो कार्य की शर्त रखी गई है उसे यदि पंचायत नही करता है तो उसका क्या दायित्व है ?

39. **श्री सुनंदा रेड्डी, जिला–राजनांदगांव।**

➢ प्रदूषण शून्य होना चाहिए।

40. **श्री महेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी खुलने का बहिष्कार करता हूं। कंपनी बहुत बड़ी क्षेत्र में खुल रही है जिससे गांव की खेती पर प्रभाव पड़ेगा कंपनी के द्वारा मुआवजा के लिये निर्धारण नही किया गया है। कृषि भूमि खाली पड़ी है क्योंकि प्रदूषण के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। प्रदूषण हमारे वातावरण को प्रभावित करेगा और हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। प्रदूषण का मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण नही कर पाना है। बोरई में बहुत ज्यादा प्रदूषण है और वृक्षारोपण का अभाव है। भविष्य में वृक्षों की संख्या मे में कमी आ सकती है। कंपनी टेक्नीकल और मैनेजमेन्ट के लिये बाहर से लोगों को लाया जायेगा ऐसे में क्या हमारे गांव वाले देखते रहेंगे। जितनी भी कंपनियां बोरई औद्योगिक क्षेत्र में खुले उनमें वृक्षारोपण की शर्त निहित थी लेकिन वृक्षारोपण नही किया गया।

41. **श्री भागवत साहू, ग्राम–टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ उद्योग खुलने के बाद गांव की परिस्थिति खराब हो जाती है। गांव प्रदूषित हो जाती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य चरमराया जा चुका है। स्थानीय गांव में प्रमुख सुविधा उपलब्ध कराया जाये। प्रदूषण से आसपास बिमारी फैलने की संभावना रहती है इसलिये प्रदूषण रोकने के लिये बड़ी मात्रा मशीन लगाया जाये, वृक्षारोपण किया जाये। आसपास के लोगों को शत प्रतिशत रोजगार में प्राथमिकता दिया जाये। अकुशल मजदूर को कुशल में लाने के लिये कंपनी प्रशिक्षण दे। पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बिजली आपूर्ति सोलर पेनल के माध्यम से किया जाये। गांव में समग्र विकास के लिये शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाये। उद्योग में सुरक्षा उपकरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाये।

42. **श्री नेमलाल साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी प्रारंभ होने पर डेढ़ वर्ष शेष बचा है लेकिन वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। यह कब तक हो जायेगा। टेक्नीकल शिक्षा हमें उपलब्ध कराया जाये ताकि हम टेक्नीकल पद में कार्य सके।

43. **श्री रमाकांत, ग्राम–खुटेरी, सोमनी, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का 25 पेज का केवल कम जानकारी दिया गया है। पर्यावरण मण्डल द्वारा कार्यपालक सार की प्रति पोर्टल में अपलोड नही की गई है इसीलिये उसका विरोध करता हूं। उक्त जन सुनवाई को रद्द किया जाये। कोपेडीह व मगरलोटा को गोद लेने की बात कही गई थी पर अभी तक कुछ काम नही हुआ है। कंपनी के पास कोई भी वृक्षारोपण नजर नही आया। सिलतरा रायपुर में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति देखी जा सकती है। कंपनी को आवश्यकतानुसार पानी जायेगा तो हमें कृषि के लिये पानी कैसे मिलेगा ? पर्यावरण की जानकारी कंपनी की वेबसाईड में अपलोड की जायेगी लेकिन कंपनी का वेबसाईड अभी तक बना नही है। कंपनी को 2024 में पर्यावरणीय

१६

स्वीकृति मिली थी और अभी क्षमता विस्तार के लिये आवेदन कर दिया गया है जिस पर विचार किया जाना जल्द बाजी होगा।। कंपनी से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी के लिये कोई ठोस परियोजना दिखाई नही देता है। 500 मेगावाट का पावर प्लांट आयोजित लगाया है जिससे प्रदूषण होगा। सल्फरडाईआक्साईड नाईट्रोजन आक्साईड से प्रदूषण बढ़ेगा। जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अपशिष्ट का सुरक्षित भण्डारण नही होने के कारण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा। ईआईए में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये उपाय व्यवहारिक प्रतीत नही हो रहा है इसलिये मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

44. **श्री योगेन्द्र साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ **मैं कंपनी का विरोध करता हूं। लोगों को बहकाया जा रहा है कि कंपनी** लगने से यहां विकास कार्य होगा। हमें इसकी जरूरत नही है। यदि कंपनी हमारे लोगों को गोद लेती है तो उस क्षेत्र में विकास कार्य हो चुका होता। हमारे यहां विकास जैसे हो रहा है वैसी ही धीरे धीरे शासन से पैसा लेकर ही होना चाहिए। कंपनी खड़ी होगी तो विकास होगा यह बकवास बात है। आज आसपास के क्षेत्र में सबसे खराब स्थिति में गांव रसमड़ा है जहां 20 से 25 सालों से कंपनी लगा हुआ है लेकिन वहां विकास कार्य नही हो रहा है। सबसे दयनीय स्थिति रसमड़ा की है। क्राईम रेड में सबसे ज्यादा आगे रसमड़ा गांव की है। सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक रूप से सबसे दयनीय स्थिति रसमड़ा गांव की है। कंपनी के लगने से यदि विकास कार्य होता तो रसमड़ा की स्थिति में सुधार हो चुका होता। इसलिये मैं पूर्ण रूप से कंपनी का विरोध करता हूं। अभी कंपनी में उत्पादन शुरू नही हुआ है लेकिन क्षेत्र में चोरी चमारी, अपहरण शुरू हो गया है। कंपनी यदि चालू होगा तो चार गुना मजदूर आयेंगे जिससे आज की स्थिति और खराब होगी। मैं कंपनी से गंदा पानी नदी में जायेगा जिससे आसपास के क्षेत्र बर्बाद हो जायेगा, हमारा कृषिधन, पशुधन बर्बाद हो जायेगा इसलिये हमें कंपनी नहीं चाहिए। आप सब काम कर रहे हैं हमें रोजगार की आवश्यकता नही है। कंपनी आने से हमारे रोजगार में कोई परिवर्तन नही होगा। हमें कंपनी की जरूरत नही है। आसपास रसमड़ा में जितने भी कंपनी है वो पर्याप्त है।

45. **श्री सुशांत निर्मलकर, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी जाने पर गेट के अंदर जाने नही दिया जाता है। उसके लिये क्या किया जाये ? हमारे क्षेत्र में आकर हमें ही अंदर नही जाने दिया जा रहा है। अभी ये स्थिती है तो आने वाले समय पर क्या होगा ? मेरा अनुरोध है कि अंजोरा में मॉडल स्कूल बना दिया जाये। यहां स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। यूपी बिहारी लोगों को काम पर न रखा जाये। अंजोरा को उरला, रसमड़ा नही बनाना है। भिलाई में भी और भी उद्योग हैं वहां भी लोग काम करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य मेरा मुद्दा है उस पर काम किया जाये। वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाये। सरपंच के जो मांग रखी गई है वो पूरे गांव की मांग है। उस पर यदि काम किया जाये तो हम लोग समर्थन के बारे में सोचेंगे।

46. **श्री तामेश्वर श्रीवास, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जब किसान नही रहेगा तो हम लोग कंपनी का क्या करेंगे। किसान नही रहेगा तो क्या खायेंगे क्या पीयेंगे। यदि जवान किसान का उगाया अनाज नही खायेगा तो बार्डर पर वही हमारी सुरक्षा कैसे करेगा ? किसान ही नही रहेगा तो चांवल, धान, दाल कहां से आयेगा ? हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षा के नंबर पर देश में कौन से नंबर पर है ? कंपनी ने निर्धारित कर लिया है कि काम में बाहरी लोग आयेंगे। यदि ऐसी होगा तो यहां आदमी मजदूरी ही करेगा। सरपंच के जो मांग रखी गई है वो पूरे गांव की मांग है। उस पर यदि काम किया जाये तो हम लोग समर्थन के बारे में सोचेंगे।

47. **श्रीमती सोनल साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं चाहती हूं कि गांव के लोगों को ही काम पर लिया जाये। बिहारी लोगों को काम पर न लिया जाये। लोगों को उनके योग्यता के आधार कार्य मिले। महिलायें चाहते हैं तो उनको भी काम पर रखा जाये। यूपी बिहारी लोगों के कारण हम लोग बाजार जाना बन्द कर दिये हैं। यदि स्थानीय लोग बाजार में रहेंगे तो हम लोग निर्डर होकर बाजार जा पायेंगे। जिससे हम अच्छी जीवन यापन कर पायेंगे।

48. **श्रीमती मंजू साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ पूर्व सरपंच ने कंपनी के लिये एनओसी दे दिया है हम कुछ नही कर सकते।

49. **श्रीमती टिकेश्वरी साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी के प्रदूषण को नियंत्रण में रखकर काम किया जाये। कोपेडीह के नवयुवकों को काम पर रखा जाये।

50. **श्रीमती गुंजन साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कोपेडीह के नवयुवकों को काम पर रखा जाये। महिलाओं को भी काम मिलना चाहिए।

51. **श्री मनोज कुमार सिन्हा, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जितने लोग आये हैं वो लोग 84 हेक्टेयर जमीन लेने आये हैं या हमारी समस्या को सुनने आये हैं या हमे जन सुविध देने आये हैं ? आज से डेढ़ साल पहले ग्राम कोपेडीह में जनसुनवाई की गई उस समय भी यह जन सुनवाई करवा लेनी थी। यदि कल्याणी इस्पात दो प्रतिशत का शेयर देती है तो हम लोग कंपनी का समर्थन करेंगे अन्यथा कंपनी का विरोध करेंगे।

52. **श्री तोरण लाल साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जन सुनवाई में विशेष रूप से पर्यावरण को देखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाये तो मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।

53. **श्री महेश कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ वर्ष 2011 में अंजोरा के रेकॉन स्टील में मैं लेब में काम करता था। दिन में 3 बार क्लिन का सेम्पल लेने जाता था। मैं सफेद शर्ट पहन कर जाता था

तो वह काला हो जाता था। हमारे आने वाली पीढ़ी का नस्ल खराब हो जायेगा तो हम लोग विकास कार्य का क्या करेंगे।

54. **श्री जवाहर लाल साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं कृषक परिवार से हूं। कंपनी से मेरा प्रश्न है कि आसपास के क्षेत्र में रसमड़ा को देखा जाये जहां बहुत सारी कंपनी है। धान की कटाई होती है तो प्रदूषण दिखता है, कितना डस्ट है। वहां कंपनियों में भी तय सीमा के बाद ही कंपनी लगे हैं पर बहुत ज्यादा धूल डस्ट है। मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं।

55. **श्री जय प्रकाश साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारी मांग पूरी होंगी या नही। कंपनी खुलने तक हमारी बाते सुनी जाती है उसके बाद हम सिर्फ चक्कर काटते हैं हमारी बात नही सुनी जाती है। वृक्षारोपण नही किया जाता है। अंजोरा में क्राईम दर बहुत बढ़ गया है। कंपनी के अंदर क्वार्टर बनाया जाये वहां का आदमी गांव में नही आना चाहिए। गांव के बाजार में बिहारी लोग रहते हैं। उन्हें कंपनी पर रखा जाये। गांव में होने वाले क्राईम का जिम्मेदारी कंपनी लेगा क्या ? कंपनी के पास हाईटेंशन वायर आया था जिसे कंपनी ने हटा दिया है तो किसानों के खेत के उपर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाईन को भी हटा दिया जाये। मेरे गांव की जितनी भी मांगे है वो पूरी होती है तो मैं कंपनी का समर्थन करूंगा।

56. **श्री मनोज श्रीवास, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ आज गरीब किसान और गरीब मजदूर के बात को सुनने वाला कोई नही है। सरकार बोलती है किसानों की आय दुगुनी की जाये लेकिन आज तक किसी की आय दुगुनी हुई है क्या मुझे बताया जाये। आज जो स्थिति रसमड़ा की हुई है वह स्थिति अंजोरा की होने वाली है। कंपनी खुलने के पहले स्थानीय लोगों को कुछ नही होगा क्योंकि बाहरी लोगों को लाकर काम करवाया जा रहा है। मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं।

57. **श्री होमलाल साहू , ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी से निकलने वाले प्रदूषण के कारण यहां लोग खेती नही कर पायेंगे इसलिये मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं।

58. **श्री भुवेनेश्वर प्रसाद, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं जानना चाहूंगा कि कंपनी में कितने प्रतिशत लोग राजनांदगांव से काम कर रहे हैं। आपके बुकलेट में लिखा है कि टेक्नीकल आदमी बाहर से लिया जायेगा। मेरे द्वारा आपके कंपनी में रिज्यूम 4 दिन पहले देकर आया गया है ऐसे में मेरे को कार्य कैसे मिलेगा। मुझे मेरे रिज्युम का जवाब कितने दिन में आयेगा। मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं।

59. **श्री जातराम निर्मलकर, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी के धुआं से गांव में प्रदूषण होगा। आज हमें अपना जमीन बेचा है आने वाले दिन में हमें अपना गांव बेचना पड़ेगा। इसलिये मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं।

60. **श्री विश्वनाथ पवार, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी अच्छी शिक्षा, रोजगार देने की बात गोद लेने की बात कह रही है जिससे गांव का विकास होगा। मैं रोजगार की बात कहना चाहूंगा। अभी कंपनी में निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें बाहरी लोगों को रखा गया है। मैं कहना चाहूंगा कि यहां और कोपेडीह में कैम्प लगाकर युवा बेरोजगार को होने वाले काम की जानकारी दिया जाये ताकि उनको उद्योग शुरू होने पर काम पर रखा जा सके। जितने भी काम करने वाले को रोजगार पर लिया जाये। अंजोरा और कोपेडीह के पंचायत में आकर यह पता किया जाये कि कई लोग पैसा के अभाव में पढ़ाई नही कर पाते हैं उनका सहयोग किया जाये। निम्न वर्ग के लोग ईधर उधर से कर्ज लेकर शादी करते हैं तो उनका खर्च उठाया जाना चाहिए। जैसे बीएसपी प्लांट के लिये सेक्टर 9 में हास्पीटल सुविधा है उससे भी अच्छी सुविधा गांव में उपलब्ध कराई जाना चाहिए। यदि ऐसी सुविधा कंपनी उपलब्ध कराती है तो मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।

61. **श्री निगेन्द्र साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ यहां के स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार रोजगार दिया जाये।

62. **श्री आशीष विश्वकर्मा, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ यहां के स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार रोजगार दिया जाये। अन्यथा मैं कपनी का विरोध करता हूं।

63. **श्री ललित कुमार साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ वर्कर बाहर से न लाये तो क्या कार्य नही होगा ?

64. **श्री जितन साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ यदि कंपनी में स्थानीय लोगों को कार्य दिया जायेगा तो हम लोग कंपनी का समर्थन करते हैं।

65. **श्री केशव लाल सिन्हा, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी में एम्लेन्स ड्रायवर की नौकरी में काम देने के लिये 300 रूपये फार्म के लिये लिया गया है। ऐसे प्राईवेट नौकरी में कौन लेता है। यह दस दिन पहले की बात है। इसका मुझे जवाब चाहिए।

66. **श्री मिथलेस सिन्हा, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं। हमें ऐसा विकास नही चाहिए जिससे जिंदगी का विनाश हो और साथ ही गांव का भी विनाश हो रहा है। अभी कंपनी में एक की हत्या हो चुकी है। आपके वर्करों द्वारा लुटपाट किया जा रहा है।

67. **श्री डेहन लाल साहू, ग्राम–इंदावानी, जिला–राजनांदगांव।**

➢ युवावर्ग को रोजगार की बात चल रही है। सभी को बराबर रोजगार मिलना चाहिए।

68. **श्री हेमन्त साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी में रोजगार देने की बात कही जाती है उस पर हम लोग कैसे विश्वास कर ले ? एक व्यक्ति ड्रायवर की नौकरी के लिये बात करने गया था उसे मना कर दिया गया।

69. **श्री योगेश साहू, जिला–राजनांदगांव।**

➢ बाहरी लोगों को बड़े बड़े पद मे काम में रखा गया है। बाहरी लोग हमारे गांव के बाजार में नही आने चाहिए। माता बहनों के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे तो ठीक नही होगा। छत्तीसगढ़ सभी लोग जो लायक हैं उन्हें काम पर रखा जाये।

70. **श्री राजशेखर साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ फैक्ट्री के पास हमारी जमीन है, उसे बेचा नही गया है। लेकिन वंदना वाले के तरफ से चार से पांच बार नोटिस आया है सीमांकन के लिये। ऐसी तानाशाही कंपनी नहीं चाहिए। अगर नकशा नही कटा तो वहां पर हमारी जमीन कैसे हो सकता है ? हमारी आम किसान का कोई महत्व नही है। हम क्यो करेंगे ? हमें हमारी जमीन का सीमांकन करने की क्या आवश्यकता है ? अगर ऐसी बात होती है तो बिलकुल कंपनी का समर्थन नहीं करेंगे।

71. **श्री त्रिभुवन ठाकुर, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ बाहर से आये वर्कर आज से ही अंजोरा में न आये। ये लोग बहुत गलत कार्य कर रहे हैं नशे की हालत में ओ लोग महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नही कर रहे हैं।

72. **श्री पवन कुमार यादव, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ बाहर से आये वर्कर अंजोरा में न आये। ये लोग बहुत गलत कार्य कर रहे हैं नशे की हालत में ओ लोग महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नही कर रहे हैं।

73. **श्री शुभम सिन्हा, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी से जितने भी वर्कर आते हैं वो लोग शोर शराबा हंगामा करते हैं। उनकी व्यवस्था कंपनी में ही किया जाये।

74. **श्रीमती पदमनी साहू, ग्राम–टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी से आसपास के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। वृक्षारोपण होना चाहिए। कंपनी का समर्थन करती हूं।

75. **श्री मुकेश विश्वकर्मा, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ सरपंच की बात को ध्यान दिया जायेगा तो मैं कंपनी का समर्थन करूंगा।

76. **श्री संदीप यादव, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ स्थानीय लोगों को काम दिया जायेगा तो समर्थन करूंगा।

77. **श्री अंगेश्वर देशमुख, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ लगभग लगभग वही बाते बार बार दोहराई जा रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के नीतियों का अक्षरशः पालन किया जाये। बाजार में वर्कर

लोगों के द्वारा की जा रही गतिविधियों की बार बार दोहराई जा रही है इस प्रकार की घटना पर ध्यान दिया जाये। प्रशासन के एग्रीमेन्ट का पालन करना चाहिए और इसका दैनिक समाचार पत्र में प्रकाश किया जाये तो मैं समर्थन करूंगा।

78. **श्री अजन साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ सरपंच की बात यदि माना जाता है तो मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।

79. **श्री तुलाराम साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का समर्थन करता हूं।

80. **श्री श्यामलाल गुप्ता, ग्राम–टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ लोकल मजदूर ही कंपनी में ज्यादा रहे।

81. **श्री लेखराम साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी प्रारंभ होने के पहले स्पंज आयरन प्लांट से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की व्यवस्था किया जाये। जन जीवन को किसी भी प्रकार की हानि न हो। कंपनी में कोपेडीह के जितने लोग कार्य कर रहे वो ठेकेदारी पर कार्य कर रहे हैं। गांव के लोगों कंपनी के द्वारा रोजगार दिया जाये न कि ठेकेदार के माध्यम से।

82. **श्री धनुषराम सिन्हा, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हम एक कृषक परिवार से हैं। मेरा निवेदन है कि कंपनी जो बन रहा है उसमें गांव वालों को पहली प्राथमिकता दी जाये। योग्यता एवं अनुभव के अनुसार काम दिया जाये।

83. **श्री दुरेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी में काम ठेकेदार के माध्यम से होता है। जिस प्रकार कंपनी पंचायत से अनुमती लेता है वेसे ही ठेकेदार को भी अनुमति लेना चाहिए तभी उसे काम मिलना चाहिए।

84. **श्री चन्दूलाल साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हम कंपनी पर काम मांगने जाते हैं तो रोका जाता है। स्थानीय निवासी को कितना दिन रोका जाता है तो आने वाले समय में कितना रोका जायेगा। बाहरी लोगों को जिन्हें काम पर रखा गया है उन्हें तत्काल बाहर निकाला जाये तभी तो लोगों को विश्वास होगा कि स्थानीय लोगों को काम पर रखा गया है। यह सभी मांग पूरा होता है तो हम लोग कंपनी को समर्थन देंगे।

85. **श्री खिलेश्वर साहू, ग्राम–टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ इस कंपनी से अंजोरा और कोपेडीह दो गांव प्रभावित हो रहा है। कंपनी क्षेत्रीय लोगों की मांग को पूरी करे। सीएसआर मद का स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किया जाये। गांव में क्षेत्रीय प्रबंधन विकास कार्य करे। ऐसा होने पर मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।

86. **श्री नारायण लाल निषाद, ग्राम–टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ स्थानीय लोगों को ही रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी तो मैं कंपनी का समर्थन करूंगा। अन्यथा नही।

87. **श्री तोषण प्रसाद साहू, ग्राम–टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी में हम लोग काम मांगने जाते हैं तो अनुभव की मांग किया जाता है। लेकिन हमें काम पर ही नही रखा जायेगा तो हम लोग अनुभव कहां से लायेंगे इसलिये हमें काम पर रखा जाये।

88. **श्री माखन साहू, उप सरपंच, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ डीएमएफ की राशि का उपयोग लिखित में यदि स्थानीय क्षेत्र में करने की जानकारी देते हैं तो मैं कंपनी का समर्थन करूंगा।

89. **श्री हर्षदीप साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का विरोध करता हूं।

90. **श्री खिलेश कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरे गांव का एक लड़का कंपनी में काम मांगने गया तो उसे कहा गया यदि अंजोर का हो तो मैं उसे कार्य पर रखूंगा अन्यथा नही। इसलिये मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।

91. **श्री मोरध्वज साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

92. **श्री लल्ला यादव, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

93. **श्री सुनील यादव, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

94. **श्री उमेश कुमार साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ यदि व्यक्ति काम मांगने जायेगा तो वह किससे मिलेगा ? कृषि धन को घटाकर सभी उद्योग लगा रहे हैं किसान को बैसाखी दिया जा रहा है उसे अपंग बना दिया गया है। कृषि भूमि को कृषि भूमि ही रहने दिया जाये बंजर भूमि पर उद्योग लगाया जाये। जिससे किसान को किसी भी प्रकार की हानि न हो।

95. **श्री तुषार, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कल्याणी इस्पात पिछले तीन माह अपना बायोडाटा छोड़ा हूं लेकिन कंपनी की ओर कोई भी सूचना नही आई है। मैं स्नातक हूं। मैं बेरोजगार हूं मुझे और स्थानीय लोगों को रोजगार कब मिलेगा ? यदि कंपनी स्थानीय लोगों को योग्यता अनुसार नियुक्त करेगा तो मैं कंपनी का समर्थन करूंगा अन्यथा नहीं।

96. **श्री मनोज कुमार निर्मलकर, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं कंपनी का समर्थन करता हूं। मैं अपनी जमीन को बेचा है तो मैंने चना मुर्रा बोने के लिये नही बेचा है। यदि हम लोग बाहर जाकर काम करते हैं तो वे बाहरी लोग भी यहां पर आकर काम कर सकते हैं। हमारे जितने भी लोग बाते करते हैं उनकी बातों पर पहल नही की जाती है। जोरातराई मनगट्टा स्कूल जाते जाते दस बच्चे चले गये लेकिन उनको देखने के लिये शासन प्रशासन का एक भी व्यक्ति नही आया। जोरातराई में एक फैक्ट्री की गन्दगी फेंके जाने के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे मर गये हैं। लोगों की बातों को कंपनी ध्यान देती है तो हमें कोई आपत्ति नही है।

97. **श्री पूर्णेश साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ अंजोरा में तीन दिन तक ग्राम सभा में मांग तैयार की गई। यदि ये सभी मांगे पूरी होती है तो कंपनी का समर्थन करूंगा अन्यथा नहीं। मांगों को स्टाम्प में लिख के दिया जाये। सब बाहर से आई माता बहन आये हैं उनकी भी मांग है जिसे पूरा किया जाये। केवल पुरूष की मांग नही। समर्थन तो करता हूं लेकिन जितने भी मांग है जैसे वृक्षारोपण, रोजगार पूरी की जाना चाहिए।

98. **श्री प्रवीण कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का विरोध करता हूं। क्योंकि कंपनी से प्रदूषण होगा बीमारी बढ़ेगी।

99. **श्री लेखराम साहू , ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ विरोध।

100. **श्री स्वरूप यादव, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ वर्तमान में पूर्ण विरोध करता हूं यदि पूरी मांगे पूरी हुई तो विचार किया जायेगा। पेज नंबर 8 में जो उल्लेखित है कि बाहर से भर्ती की जायेगी वह बिलकुल विरोधाभास है।

101. **श्री लेखराम साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ सब लोग रोजगार की बात कर रहे हैं ये अच्छी बात है। शिक्षा पद्धति की बात ही नही की गई है। रोजगार से कैसा बड़ा पद प्राप्त करेंगे। यह कहा ही नही गया है। शिक्षा की बात करो ताकि रोजगार मिले। शासन को बोलो कि अच्छी शिक्षा मिले। मैं किसी आदमी का नाम नही ले रहा हूं। शिक्षा की बात कर रहा हूं। एक ही पीढ़ी को बीएसपी में काम मिला। क्या आने वाली पीढ़ी को भी कोपेडी में काम मिलेगा ? उस पर बात होनी चाहिए। जन प्रतिनिधि को पांच साल के इसलिये चुना जाता है ताकि वो गांव की समस्या सुने। मेरा कंपनी से ये कहना है कि शिक्षा पद्धति को सुधारे। कंपनी एक पीढ़ी को काम देगी या फिर बाकी पीढ़ी को भी काम देगी यह कंपनी बता दे।

102. **श्री उमेश कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ ग्राम पंचायत की जो भी मांग है उसे पूरी होना चाहिए तब मेरा समर्थन है।

103. **श्री देवदास साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ यदि कोई कम्प्लेन्ट दिये है तो कितने दिन में पूरी होगी ? कम्पलेन का रिस्पान्स मिलना चाहिए। आपकी कंपनी जो कचरा जैसे खाना आदि फेंक देती है उसके लिये हम किसके पास कम्प्लेन्ट करेंगे ?

104. **श्री पवन शुक्ला, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी के अंदर ऐसे प्रतिनिधि हो जो बात सुने। मैं रसमड़ा में काम करता हूं। वहां मैं सुपरवाईजर हूं। क्या मैं न्यूनतम पेमेन्ट का अधिकारी हूं। मुझ काम करते 15 साल हो गया है। बालाजी, रायपुर पावर उद्योग मिलते हैं व बोलते हैं कि आप ज्यादा पेमेन्ट मत दीजिये। कंपनी हमको प्रोटेक्शन बोनस देगी ? महिलाओं को रोजगार दिया जाये। बाहर से आये लोग हमारे यहां आकर झगड़ा करते हैं। आईटीआई खोला जाये। जिससे हमारे भाईयों को मौका मिले। गांव में कंपनी द्वारा व्यवस्था की जाये।

105. **पुनः उद्बोधन श्री शैलेष साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमने इतनी देर बात की कि कंपनी द्वारा अनुबंध किया जाये। ऐसी कोई बात हुई ? सबको जीने का अधिकार है। संविधान में स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, का उल्लेख है। हमारे सवालों का जवाब नही मिल रहा है तो ऐसी जन सुनवाई का क्या मतलब ? जिनकी जमीन जा रही है उनको आश्रय का अधिकार कौन देगा ? हम कंपनी का समर्थन जब करेंगे जब कंपनी एमओयू व ग्रामसभा में सहमति दे। मैं संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार बात कर रहा हूं। लिखित में बात होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उसकी जानकारी हो। लोक सुनवाई आगामी अवधि के लिये बढ़ाया जाये।

106. **श्री सुदर्शन दास मानिकपुरी, ग्राम–टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरा निवेदन है कि यहां सारे डिपार्टमेन्ट के अधिकारी आये हैं या नही। उद्योग गांव कोपेडीह एवं अंजोरा में लगाया जा रहा है उससे कौन कौन से गांव प्रभावित होंगे ? लोक सुनवाई ऐसे जगह होना चाहिए जहां लोग आसानी से आ जा सके। यहां पर लोग आसानी से नही आ पा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी गई जानकारी अनुसार ये मिनी भिलाई स्टील प्लांट बनेगा। हमें लिखित में चाहिए कि उद्योग से केवल कोपेडीह एवं अंजोरा प्रभावित होगा। कल्याणी इस्पात द्वारा प्रस्तुत कार्यपालक सार की प्रति में टोप्पो प्लान का पालन नही किया गया है। कोपेडीह एवं अंजोरा से लगे हुए गांवों से कंपनी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया है। ग्रीनफिल्ड परियोजना केवल कोपेडीह के लिये प्राप्त किया है। अंजोरा के लिये नही लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र की सीमा के चारो ओर 10 से 15 किमी. की सीमा में व्यापक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए था जो न्याय उचित नही है। उद्योग से 10 से 12 किमी. की सीमा की कृषि भूमि की उर्वरा कम हो जायेगा। कंपनी का डस्ट होगा तो खेती कहां होगा ? उक्त संस्थान के कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या होने की संभावना रहेगा जिससे क्षेत्र में कम बारिश होगा। आसपास के जीव जन्तु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिससे आम जनता का जीना मुश्किल व दुभर हो जायेगा। ऐसे उद्योग पर प्रतिबंध लगाया जाना उचित होगा। कंपनी बन्द किया जाना

12

चाहिए। इस तरह का जन सुनवाई कोपेडीह में हुआ था। वह समाप्त हो गया उसके बाद आज जन सुनवाई क्यों करवाई जा रही है। कंपनी का डस्ट मेरे घर में नही जायेगा ये बात कंपनी प्रबंधन एवं प्रशासन लिखकर दे। मेरे घर की छत में दूसरे दिन डस्ट के कारण पैर रखने लायक नही रहता है। उद्योग लगाने के लिये बहुत बड़े बड़े जगह है। हम उद्योग का विरोध नही कर रहे हैं। अगर प्रशासन को यहां उद्योग लगाना था तो जमीन अधिग्रहण करके चार गुना कीमत देना था। वर्ष 2005 एवं 2007 में जमीन क्रय किया गया तब स्टाम्प ड्यूटी भी चोरी किया गया। आज केवल कोपेडीह और अंजोरा में क्यों जन सुनवाई कराई जा रही है। आसपास के गांव में जन सुनवाई क्यों नही करवाई जा रही है। उद्योग की जन सुनवाई आज निरस्त करके आगामी तिथि के लिये बढ़ाया जाये। जन सुनवाई सारे गांव में किया जाये। आज सरकार हरितक्रांति की बात कर रही है। लेकिन उद्योग से निकलने वाले धूल डस्ट हमारे खेत को नुकसान पहुंच रहा है। प्रदूषण से मैं प्रभावित नही होउंगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? आज उद्योग क्षमता विस्तार के लिये अंजोरा आये हैं। जब तक जन सुनवाई न हो जाये तब तक आसपास के सभी क्षेत्र में एनओसी न दिया जाये और कंपनी के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाया जाये। जनहित का मामला है जनहित जैसा होना चाहिए। उद्योग के लगने की बात मेरे आने वाले पीढ़ी के भविष्य के बात। आसपास के चारो क्षेत्र में 40 से 50 गांवों में जन सुनवाई करवाई जाये उसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाया जाये। हर ग्राम पंचायत में जन सुनवाई होना चाहिए। मैं घोर विरोध कर रहा हूं।

107. **पुनः उद्बोधन श्री शैलेष साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जनसुनवाई पहले होता है कि एनओसी पहले दी जाती है। कोपेडीह की जन सुनवाई की कार्यवाही की जांच की जाये मैं एडीएम से निवेदन करता हूं। पटवारी महोदय को बुलाया जाये। उनसे खसरे की जांच करवाई जाये। सामने मेरा खेत है उस पर हाईटेंशन टावर लगा है उसका मुआवजा राशि शासन ने नही दिये। आज कल्याणी इस्पात के लिये क्यों हाईटेंशन टावर क्यो हट रहा है ? जिला प्रशासन इसका जवाब दे ? मेरे खेत में लगा हुआ हाईटेंशन टावर क्या हट सकता है ? जब कल्याणी के लिये हटा है तो हमारे लिये क्यों नही हट सकता ? आप हमें गुमराह कर रहे हैं। ग्राम सचिव को बुलाया जाये व रिकार्ड देखा जाये। कंपनी में बाहर से जो मजदूर आये हैं उसका डाटा कहां है ? कोई घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा ? मैं अंजोरा सरपंच को बुलाना चाहता हूं। सरपंच द्वारा लिखित में मांग रखी गई थी वह क्या संभव हो पायेगा कृपया बताये ? स्टाम्प में अनुबंध होना चाहिए।

108. **श्री पुष्कर सिन्हा, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैंने कंपनी को ज़मीन दी है। मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।

109. **पुनः उद्बोधन श्री महेश कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ किसानों की जमीन में हाईटेंशन लाईन गया है जिस पर केश किया गया। जिसे कंपनी द्वारा हाईकोर्ट से हार गई है।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावकों को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री मनू शर्मा द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मौखिक मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- हम आपके द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर लिखित में देंगे।
- रोजगार एवं शिक्षा की बात आई थी। शिक्षा के अंतर्गत दो स्कूलों में जो विद्यार्थी आठवीं टापर होगा उसके लिये पुरस्कार दिया जायेगा।
- कंपनी के तरफ से आईटीआई का ट्रेनिंग कराई जायेगी।
- स्थानीय लोग भी ठेकेदारी का काम कर सकते हैं। चाहे सिविल हो।
- योग्य लोगों को जो इंजीनियर हैं उन्हें रोजगार दिया जायेगा। एम्बुलेन्स की सुविधा दी जायेगी। आपके एक फोन पर ये एम्बुलेन्स की सुविधा दी जायेगी। पानी की सुविधा प्रदान की जायेगी। जिसमें आपके प्रस्ताव के अनुसार नलकूप कराया जायेगा। विद्युत के लिये सोलर की व्यवस्था की जायेगी। आपसे वार्तालाप के अनुसार।
- सीएसआर एक्टिविटी में जो कुल खर्च है उस पर आवश्यकता अनुसार खर्च किया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 78 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 107 व्यक्तियों (01 व्यक्ति द्वारा 04 बार एवं 01 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः उद्बोधन) के द्वारा कुल 109 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 121 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 04.45 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त कलेक्टर 28/4/25
जिला–राजनांदगांव